

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-9/2018/769/पांच-8-2018-जी0(282)/2017
लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा डा0 तरुणा सिंह, चिकित्साधिकारी को जिला महिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 तरुणा सिंह द्वारा दिनांक 16-10-2014 को कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त स्टडी लीव का प्रार्थना पत्र दिनांक 30-10-2014 प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 कोर्स के अध्ययन के लिए चली गयी। पी0जी0 पूर्ण करने के उपरान्त डा0 तरुणा सिंह ने पत्र दिनांक 24-07-2017 द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण कराने का अनुरोध किया गया है।


2- अतः इस संबंध में डा0 तरुणा सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 24-07-2017 में दी गयी सूचना एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 तरुणा सिंह, चिकित्साधिकारी(आब्स एण्ड गायनी) को जिला महिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के अवकाश के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

उमेश मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-9/2018/769 (1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 तरुणा सिंह, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर।
- 6- कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-10/2018/770/पांच-8-2018-जी0(282)/2017

लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/4083/पांच-8-2016-जी0(272)/2016, दिनांक 01-01-2017 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैंड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 प्रजा वर्मा की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन की गयी। तत्समय डा0 प्रजा वर्मा पी0जी0 अध्यनरत थी, जिसके कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी।

2- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-स्था0/चि0अ0/2017-18/1035, दिनांक 17-07-2017 द्वारा डा0 प्रजा वर्मा के द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या दिनांक17-07-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 प्रजा वर्मा, चिकित्साधिकारी(डी0जी0ओ0) की मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें जिला महिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 प्रजा वर्मा, चिकित्साधिकारी(डी0जी0ओ0) को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल दिनांक 10-02-2018 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-01-2017 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

उमेश मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या-10/2018/770 (1)/पांच-8-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़।
- 9- कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-11/2018/771 /पांच-8-2018-जी0(282)/2017

लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-41/926/पांच-8-2015-म0(04)/2015, दिनांक 04-03-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैंड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 कुमार केशव की नियुक्ति/तैनाती एल0बी0एस0 चिकित्सालय रामनगर वाराणसी के अधीन की गई। तत्समय डा0 कुमार केशव पी0जी0 अध्यनरत थे जिसके कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे।

2- डा0 कुमार केशव द्वारा पी0जी0 अवधि के उपरान्त शासन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08-07-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 कुमार केशव चिकित्साधिकारी(एम0एस0 आर्थो) की एल0बी0एस0 चिकित्सालय रामनगर वाराणसी के अधीन की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें जिला चिकि चिकित्सालय गाजीपुर के अधीन एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 कुमार केशव, चिकित्साधिकारी(एम0एस0 आर्थो) को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल दिनांक 10-02-2018 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-03-2015 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

उमेश मिश्र

विशेष सचिव।

संख्या-11/2018/771 (1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/गाजीपुर मण्डल।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल0बी0एस0 चिकित्सालय रामनगर वाराणसी।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय गाजीपुर।
- 9- कोषाधिकारी, वाराणसी/गाजीपुर।
- 10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(रमेश कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-12/2018/772 /पांच-8-2018-जी0(282)/2017
लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2883/पांच-8-2014-म(345)/2012 दिनांक 07-10-2014 द्वारा डा0 रचना सिंह, चिकित्साधिकारी की तैनाती को विचाराधीन रखा गया था। पुनः शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3233/पांच-8-2014-म(345)/2012 दिनांक 17-10-2014 द्वारा डा0 रचना सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 रचना सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 07-11-2014 द्वारा डा0 सिंह की तैनाती अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुर्गागंज प्रतापगढ़ में की गयी जहां डा0 रचना सिंह द्वारा दिनांक 08-11-2014 को कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त स्टडी लीव का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गयी। पी0जी0 पूर्ण करने के उपरान्त डा0 रचना सिंह ने पुनः कार्यभार ग्रहण कराने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में डा0 रचना सिंह के दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में दी गयी सूचना एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 रचना सिंह चिकित्साधिकारी(एम0एस0 ई0एन0टी0) को जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि के अवकाश के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

उमेश मिश्र
विशेष सचिव।

क्रमशः

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-12/2018/772 (1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा० रचना सिंह चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर निदेशकचिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़।
- 6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़।
- 7- कोषाधिकारी प्रतापगढ़ ।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल/प्रभारी/कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(रमेश कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-13/2018/773/पांच-8-2018-जी0(282)/2017
लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3818/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 03-12-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैंड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 सुधांशु तिवारी की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी सोनभद्र के अधीन की गयी। तत्समय डा0 सुधांशु तिवारी पी0जी0 अध्यनरत थे जिसके कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे।

2- डा0 सुधांशु तिवारी द्वारा शासन के समक्ष प्रस्तुत किये गये दिनांक रहित प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 सुधांशु तिवारी चिकित्साधिकारी(एम0डी0 पीडियाट्रिक्स) की मुख्य चिकित्साधिकारी सोनभद्र के अधीन की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें जिला महिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी के अधीन एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 सुधांशु तिवारी चिकित्साधिकारी(एम0डी0 पीडियाट्रिक्स) को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल दिनांक 10-02-2018 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-12-2014 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

उमेश मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/पांच-8-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/विन्ध्यांचल(मिर्जापुर) मण्डल।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी सोनभद्र।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय लखमीपुर खीरी।
- 9- कोषाधिकारी, सोनभद्र/लखीमपुर खीरी।
- 10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

अज्ञा से,

(रमेश कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।